<u>मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर (म.प्र.)</u>

न्यायालयीन मुकदमों की सुनवाई हेतु पारदर्शी, तर्कसंगत एवं जवाबदेहीपूर्ण नवीन लिस्टिंग प्रणाली – पक्षकारों के हितों पर केंद्रित सुदृढ़ न्यायिक व्यवस्था के लिए मील का पत्थर

<u>नवीन लिस्टिंग प्रणाली का स्वरूप</u>

कार्यरत न्यायाधीशों की संख्या, अन्य सहयोगी संसाधनों की उपलब्धता, युक्तियुक्तकरण, बेहतर न्यायिक समय प्रबंधन तथा सूचना प्रौद्योगिकी का न्यायपालिका की आवश्यकताओं के अनुरूप अधिकतम उपयोग करने के लिये सुनवाई हेतु प्रकरणों की लिस्टिंग प्रक्रिया की एक नयी पारदर्शी, सशक्त, तर्कसंगत एवं जवाबदेय प्रणाली को दिनांक 06/12/2013 को लागू किया गया है।

इस प्रणाली का उद्देश्य सभी संबंधित हितग्राहियों को शीघ्र न्याय प्रदान करने के साथ ही उनके प्रकरणों की सुनवाई हेतु दिनांक नियत किये जाने अथवा नियत नहीं किये जाने के कारण को भी स्पष्टतया दर्शाना है, जिससे सुनवाई हेतु नियत प्रकरणों के निराकरण में होने वाले विलंब का औचित्य प्रकट हो सके और प्रकरणों की सुनवाई में एकरूपता, सुनिश्चितता एवं न्याय प्रशासन की जबावदेही प्रकट हो सके।

<u>पृष्ठभूमि</u>

वर्तमान प्रणाली लागू होने के पूर्व मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय में कुल 2,60,350 मुकदमें लंबित थे, जिसमें 87.5 प्रतिशत अर्थात् 2,28,100 प्रकरण प्रारंभिक सुनवाई के थे (जबलपुर मुख्यपीठ – 1,38,000 , इंदौर खंडपीठ– 41,900, ग्वालियर खंडपीठ– 48,800 योग 2,28,100) है। अंतिम सुनवाई के प्रकरणों की संख्या कुल लंबित प्रकरणों का 12.5 प्रतिशत अर्थात् 32,250 थी । (जबलपुर मुख्य पीठ 17,300, इंदौर खंडपीठ 8,750, ग्वालियर खंडपीठ–6,200 योग –32,250)।

<u>नवीन प्रणाली का तात्कालिक प्रभाव</u>

नयी लिस्टिंग प्रणाली लागू होने के बाद वर्तमान में कुल लंबित मुकदमों की संख्या लगभग 2,57,300 है, जिनमें से 52.5 प्रतिशत अर्थात् कुल लगभग 1,35,000 मुकदमें **(जबलपुर मुख्यपीठ 78,600, इंदौर खंड–पीठ–20,300, ग्वालियर खंड–पीठ – 36,000, योग– 1,35,000)** प्रारंभिक सुनवाई में हैं। वर्तमान में अंतिम सुनवाई के प्रकरणों की संख्या लगभग 1,22,300 **(जबलपुर मुख्य पीठ 71,400, इंदौर खंड–पीठ – 33,900, ग्वालियर खंडपीठ– 17,000)** है।

उपरोक्त आंकड़े स्पष्ट रूप से दर्शाते हैं कि योजना–बद्ध तथा तर्क–संगत तरीके से वर्तमान लिस्टिंग प्रणाली के कारण प्रारंभिक सुनवाई के प्रकरण 2,28,100 से घटकर 1,35,000 रह गये है। परिणामस्वरूप, अंतिम सुनवाई के प्रकरण 32,250 से बढ़कर 1,22,300 हो गये है। यहां यह उल्लेखनीय है कि इस दौरान उच्च न्यायालय के समक्ष लगभग 90,000 नवीन प्रकरण भी संस्थित हुए। इसके बावजूद प्रारंभिक सुनवाई के लंबित प्रकरणों की संख्या में, जो वर्तमान में लम्बित कुल मुकदमों की संख्या का 52.5 प्रतिशत है, में लगभग 35 प्रतिशत की कमी आयी, और अंतिम सुनवाई के लंबित प्रकरणों का प्रतिशत 12.5 प्रतिशत से बढ़कर 47.5 प्रतिशत हो गया है अर्थात् उसमें 35 प्रतिशत की वृद्धि हो गयी।

उक्त क्रम में यह बात भी उल्लेखनीय है कि वर्तमान में भी 5 वर्ष से अधिक अवधि के प्रारंभिक सुनवाई के लंबित मुकदमों की संख्या लगभग 34,150 है जिसमें से लगभग 23,500 जबलपुर मुख्यपीठ में **(सबसे पुराना – द्वितीय अपील क्रमांक 333/89)**, इंदौर खंडपीठ में 2,250 प्रकरण **(सबसे पुराना – कंपनी पिटिशन क्रमांक 7/72)** तथा ग्वालियर खंडपीठ में करीब 8,400 **(सबसे पुराना – प्रथम अपील क्रमांक 5/76)** लंबित हैं। इसी प्रकार अंतिम सुनवाई के 5 वर्ष से अधिक पुराने लगभग 68,300 प्रकरण, जिनमें से जबलपुर मुख्यपीठ में 44,600 **(सबसे पुराना – मिसलेनियस पिटिसन क्रमांक 2152/1988)**, इंदौर खण्डपीठ में 14,800 **(सबसे पुराना – प्रथम अपील क्रमांक 80/1987)** तथा ग्वालियर खण्डपीठ में करीब 8,950 **(सबसे पुराना – प्रथम अपील क्रमांक 39/1987)** विचाराधीन हैं।

मुकदमों की सुनवाई की स्थिति के समग्र अवलोकन हेतु निम्न ऑकड़ो पर दृष्टिपात की आवश्यकता है :–

न्यायाधीशों की संख्या

अनुमोदित	–	53
कार्यरत	–	31

उपलब्ध न्यायाधीशों की कार्यस्थल अनुसार स्थिति

जबलपुर मुख्यपीठ	**–**	**सामान्यतया 3 खण्डपीठ एवं 9 एकलपीठ – कुल 15 न्यायाधीश**
इंदौर खण्डपीठ	**–**	**सामान्यतया 1 खण्डपीठ एवं 6 एकलपीठ – कुल 8 न्यायाधीश**
ग्वालियर खण्डपीठ	**–**	**सामान्यतया 1 खण्डपीठ एवं 6 एकलपीठ – कुल 8 न्यायाधीश**

ग्राह्यता पूर्व प्रकरणों में पिछले 5 वर्षों का 210 कार्य दिवस प्रतिवर्ष के आधार पर औसत संस्थापन (Institution)

जबलपुर मुख्यपीठ	–	करीब 260 प्रकरण प्रतिदिन (54,600) प्रतिवर्ष
इंदौर खण्डपीठ	–	करीब 140 प्रकरण प्रतिदिन (29,400) प्रतिवर्ष
ग्वालियर खण्डपीठ	–	करीब 100 प्रकरण प्रतिदिन (21,000) प्रतिवर्ष

यदि नवीन लिस्टिंग प्रणाली के परिप्रेक्ष्य में वर्ष 2013 एवं 2014 के प्रथम 9 माह में निराकृत प्रकरणों की तुलना करें तो प्रकट होता है कि जहाँ वर्ष 2013 के प्रथम 9 माह में कुल 83,958 प्रकरणों का निराकरण किया गया वहीं वर्ष 2014 के प्रथम 9 माह में 96,176 प्रकरणों का निराकरण हुआ है। यह उल्लेखनीय है कि वर्ष 2013 में कुल 34 न्यायाधीश उपलब्ध थे। वर्ष 2014 में मात्र 32 न्यायाधीशों के कार्यरत रहने के उपरांत भी प्रकरणों के निराकरण की संख्या में तुलनात्मक रूप से कुल 12,267 की वृद्धि हुई है, जो समान अवधि में निराकृत प्रकरणों में करीब 15% वृद्धि को दर्शाती है।

उपरोक्त परिणाम वर्तमान प्रभावशील प्रणाली के युक्ति–संगत एवं प्रभावी–स्वरूप तथा उसके क्रियान्वयन में सभी कर्तव्यधारियों (Duty Holders) यथा न्यायाधीशगण, अधिवक्तागण, रजिस्ट्री के अधिकारी तथा कर्मचारियों के सक्रिय सहयोग से ही संभव हो सका है तथा इसका सीधा लाभ उन पक्षकारों को मिला है, जिनकी न तो अपनी कोई आवाज है और न ही जो निरन्तर अपने मुकदमों की सुनवाई के लिये दौड़–भाग एवं प्रयास करने की क्षमता रखते हैं। यह दर्शाता है कि वर्तमान प्रणाली सभी हितधारियों के साथ–साथ उन पक्षकारो के हितों का ध्यान रखती है जो पूरी तरह से साधन–विहीन हैं।

लिस्टिंग प्रणाली – अधिकाधिक प्रभावशीलता की ओर

वर्तमान लिस्टिंग प्रणाली को पक्षकारो एवं अधिवक्ताओं के लिये यथासंभव सरल एवं सुविधायुक्त बनाने तथा उनकी आवश्यकताओं के अनुरूप ढालने के लिये वरिष्ठ अधिवक्ताओं तथा अभिभाषक–संघो के सम्मानीय पदाधिकारियों से निरन्तर विचार–विमर्श कर उसे और अधिक क्रियाशील एवं प्रभावी बनाया गया है।

वर्तमान लिस्टिंग प्रणाली के बारे में इन्दौर के वरिष्ठ अभिभाषक श्री अशोक कुटुम्बले द्वारा प्रस्तुत रिट याचिका क्रमांक 5891/2014 में माननीय मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के द्वारा सभी सम्बद्ध पक्षों को विस्तारपूर्वक सुनने के पश्चात् उनकी वृहद सहमति के आधार पर उसे दिनांक 19.09.2014 को निराकृत किया गया। इस मामले में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा लिस्टिंग प्रणाली से संबंधित विचार–विमर्श हेतु महत्वपूर्ण

विषयों की पहचान और उसके सौहार्दपूर्ण समाधान में अभिभाषक–संघों व मध्य प्रदेश अधिवक्ता परिषद की सकारात्मक भूमिका की सराहना भी की गयी।

नवीन लिस्टिंग प्रणाली की मुख्य विशेषताएं

क्या आप जानते हैं कि :–

1. वर्तमान लिस्टिंग प्रणाली में प्रारंभिक सुनवाई का कोई भी मुकदमा अ–दिनांकित (undated) नहीं रहता है, अर्थात् प्रत्येक ऐसे प्रकरण की सुनवाई हेतु न्यायालय द्वारा नियत या कम्प्यूटर जनित तारीख दी जाती है।
2. अंतिम सुनवाई योग्य प्रकरणों की एक वर्गीकृत समेकित त्रैमासिक सूची प्राथमिकताओं के आधार पर तैयार की जाती है तथा उसी में से साप्ताहिक सूची बनाई जाती है।
3. ग्राह्यता संबंधी प्रकरण, जिनमें नोटिस पश्चात् मामलें (After Notice Matters) भी शामिल है, प्राथमिकता क्रमानुसार सुनवायी हेतु उपलब्ध खण्डपीठों/एकलपीठों की संख्या के आधार पर सुनिश्चित संख्या में सूचीबद्ध किये जाते है, जिनमें न्यायालय द्वारा नियत दिनांक के सभी प्रकरण एवं स्थान उपलब्ध होने पर कम्प्यूटर जनित दिनांक के प्रकरण क्रमानुसार लिये जाते हैं।
4. प्रकरणों को नियत किये जाने में **'प्रथम आये प्रथम पाये'** के सिद्धांत को ही सारतः अपनाया जाता है।
5. बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिकाओं तथा जमानत याचिकाओं की शीघ्र सुनवाई की व्यवस्था की गई है।
6. अत्यावश्यक प्रकृति के प्रकरणों में, यदि वे प्रकरण दैनिक/साप्ताहिक सूची में है, सीधे संबंधित पीठ के समक्ष, और यदि सूचीबद्ध नहीं है, तो उस दशा में ज्ञापन/आवेदन संबंधित रजिस्ट्रार के माध्यम से खण्डपीठ क्रमांक–1 के समक्ष प्रस्तुत कर शीघ्र सुनवाई की व्यवस्था भी इस प्रणाली में की गई है, ताकि अत्यावश्यक प्रकरणों में शीघ्र अनुतोष हेतु सुनवायी संभव हो सके।
7. अंतिम सुनवाई योग्य प्रकरण अधिसूचित नहीं हो पा रहे थे या अधिसूचित होने पर भी सुनवाई हेतु क्रम पर पहुँच नहीं पा रहे थे, लेकिन अब ऐसे प्रकरणों की सुनवाई भी संभव हो रही है।
8. प्रत्येक सप्ताह में सुनवायी के लिए नियत होने वाले प्रकरणों की संख्या के आधार पर अग्रिम रूप से तालिका तैयार करते हुए ऐसे सप्ताह में वास्तविक रूप से उपलब्ध खंडपीठों/पीठों की संख्या और प्रणाली अनुसार प्रत्येक पीठ के लिए नियत संख्या के आधार पर सूचीबद्ध किये जाने वाले प्रकरणों की संख्या को दर्शाया जाता है। जबकि इस प्रणाली के लागू होने के पूर्व प्रकरणों की सूची (Cause List) कार्यालय सहायक

(Dealing Assistant) द्वारा भेजे गये प्रस्तावों (Proposals) के आधार पर दैनिक रूप से जारी होती थी, जिसमें कोई जवाबदेही सुनिश्चित नहीं थी तथा प्राथमिकताओं व युक्तिसंगतता का अभाव था।

9. ऐसी साप्ताहिक सूची में उस सप्ताह सूचीबद्ध न होने वाले प्रकरणों की संख्या भी स्पष्ट कर उनके सूचीबद्ध न होने का कारण और ऐसे प्रकरण आगे की दिनांकों में कब लगेंगे यह भी दर्शाया जाता है, जिसका रजिस्ट्रार (न्यायिक) एवं रजिस्ट्रार (IT) द्वारा प्रमाणीकरण भी किया जाता है।

10. कम्प्यूटर जनित नवीन लिस्टिंग प्रणाली इतनी पारदर्शी है कि उसमें न्यायालय द्वारा नियत दिनांक वाले समस्त प्रकरण, नियमानुसार लगाये जाने वाले प्रकरण, अन्य आवश्यक प्रकरण तथा रजिस्ट्रार द्वारा प्राधिकृत कम्प्यूटर जनित दिनांक (Computer generated date) के प्रकरणों के अलावा स्थान उपलब्ध होने पर केवल स्वजनित (Auto generated) दिनांक वाले प्रकरण ही लगाये जाते हैं।

11. यदि प्रकरणों को अधिसूचना किये जाने की प्रक्रिया में कोई प्रकरण त्रुटिवश किसी कारण से अधिसूचित नहीं हो पाता है तो संबंधित पक्षकारों/अधिवक्ताओं द्वारा इसकी जानकारी देने पर उसमें सुधार के लिए **शिकायत निवारण प्रणाली** की व्यवस्था भी गयी है।

प्रकरणों को सूचीबद्ध किये जाने के नवीन प्रणाली का लाभ

1. यह प्रणाली न्यायिक विवेक पर आधारित परम्परागत प्रक्रिया के स्थान पर सभी पक्षकारों/अधिवक्ताओं के प्रकरणों की सुनवाई विधि के समक्ष समानता के आधार पर सुनिश्चित करती है।

2. **प्रकरणों को युक्तियुक्त तरीके से वर्गीकृत किया गया है और ऐसे वर्गीकृत मामलों में भी उनकी आन्तरिक प्राथमिकता का क्रम सुनिश्चित किया गया है** जिससे विशिष्ट वर्ग और श्रेणी के प्रथम क्रम के प्रकरणों की शीघ्र सुनवायी हो सके। ऐसा पक्षकारों के हितों को सुनिश्चित करने के लिए किया गया है।

3. **मृत्युदण्ड से संबंधित सभी निर्देश (Reference)/अपीलों का निराकरण इस प्रक्रिया के कारण संभव हुआ है।**

4. **वर्ष 2004 से लेकर अब तक उच्चतम न्यायालय द्वारा शीघ्र निराकृत किये जाने के निर्देशों वाले लगभग सभी मामलों को इस नवीन प्रणाली के कारण निराकृत करना संभव हुआ है।**

5. **अन्य लोकहित वाले महत्वपूर्ण प्रकरणों का भी शीघ्र निराकरण इस नवीन प्रणाली के कारण संभव हो सका है।**

6. **उचित न्यायिक समय प्रबंधन (Proper Judicial Time Management)–**

(अ) इसके अंतर्गत **सामान्य आदेश (Common Order)** और **सामान्य सशर्त आदेश (Common Conditional Order)** के प्रकरणों को एक साथ सम्मिलित कर एक ही आदेश के जरिये निराकरण की व्यवस्था की गयी है। जिससे एक ही प्रकृति के पृथक–पृथक आदेश विभिन्न मामलों में पारित करने में लगने वाले अमूल्य समय की बचत होती है, जिसका उपयोग अन्य महत्वपूर्ण प्रकरणों की सुनवाई हेतु किया जा रहा है।

(ब) दैनिक/साप्ताहिक सूची में सम्मिलित प्रकरणों के अलावा अन्य **अत्यावश्यक प्रकरणों की शीघ्र सुनवायी के लिए ज्ञापन/आवेदन प्रस्तुती** केवल खंडपीठ क्रमांक 1 के समक्ष निर्धारित किये जाने के परिणामस्वरूप **जबलपुर, इंदौर, ग्वालियर की करीब 25 खण्डपीठों/एकलपीठों में इस हेतु औसतन प्रति पीठ लगने वाले लगभग 10 मिनट, अर्थात् कुल लगभग 250 मिनट (लगभग एक सम्पूर्ण कार्य–दिवस का समय) की बचत के साथ ही ऐसी कार्यवाही में एकरूपता सुनिश्चित हो सकी है।**

(स) नवीन लिस्टिंग प्रणाली के कारण जबलपुर मुख्यपीठ के साथ ही इन्दौर एवं ग्वालियर पीठों के लिए नियत होने वाले प्रकरणों की **साप्ताहिक और दैनिक सूची को तैयार** किये जाने में पूर्व की अपेक्षा अब 30 मिनट से भी कम समय लगता है, जो न्यायिक प्रबंधन तथा सूचना प्रौद्योगिकी के अधिकतम उपयोग से ही संभव हो पाया है। वर्तमान प्रणाली लागू होने के पूर्व जबकि इसके पूर्व की प्रक्रिया लम्बी [Dealing Assistant द्वारा भेजे गये प्रस्तावों (Proposals) पर आधारित] तथा जटिल थी।

(द) नवीन लिस्टिंग प्रणाली के अंतर्गत अग्रिम रूप से पूरे सप्ताह की दैनिक सूचियाँ तैयार कर कार्य सप्ताह के पूर्व के सप्ताह में अंतिम कार्यदिवस (सामान्यतः शुक्रवार) को सांयकाल 7:00 बजे तक अधिसूचित कर दी जाती हैं। पूरक सूची (Supplementary List) भी नियत दिनांक के एक दिन पूर्व शाम 7:00 बजे तक अधिसूचित की जाती है, जो उच्च न्यायालय की वेबसाइट पर सर्वत्र उपलब्ध रहती है।

7. सुनवाई हेतु प्रकरणों को नियत करने की नीतिगत अभेद्य प्राथमिकता निम्नानुसार है:–

(अ) सर्वप्रथम न्यायालय द्वारा नियत दिनांक वाले प्रकरणों कों सूचीबद्ध किया जाता हैं। यह सुविदित है कि वर्तमाल प्रणाली लागू होने के पूर्व ऐसे अनेक प्रकरण कार्यालय सहायक द्वारा प्रस्ताव सम्प्रेषण में चूक होने के कारण सूचीबद्ध नहीं हो पाते थे, जो अन्यथा न्यायालय की अवमानना जैसी थी।

(ब) उसके पश्चात् मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय नियम, 2008 के अनुसार नियत होने वाले प्रकरण, जिनमें व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित जमानत एवं सजा के निलंबन संबंधी प्रकरण तथा एकपक्षीय अंतरिम आदेश हटाये जाने संबंधी प्रकरण शामिल है, निश्चित तौर पर अधिसूचित किये जाते हैं।

(स) इसके साथ ही रजिस्ट्रार (न्यायिक) द्वारा प्राधिकृत कम्प्यूटर जनित दिनांक के प्रकरणों को भी सूचीबद्ध किया जाता है।

(द) उसके पश्चात् प्रत्येक पीठ के लिए नियत की गयी संख्या के आधार पर, यदि निर्धारित सीमा के अंदर स्थान उपलब्ध हो तो, कम्प्यूटर जनित दिनांकित प्रकरणों को उक्त सीमा में रहते हुए नियत किया जाता है।

सूचना प्रसार द्वारा सशक्तिकरण

(Empowerment by dissemination of information)

कोई भी पक्षकार या अधिवक्ता या अन्य व्यक्ति **नवीन लिस्टिंग प्रणाली और उसके अन्तर्गत अधिसूचित होने या नहीं होने वाले प्रकरणों की जानकारी** म.प्र. उच्च न्यायालय की अधिकृत **वेबसाइट** www.mphc.in पर प्राप्त कर सकता है।

सुनवाई हेतु नियत अथवा निराकृत किये गये प्रत्येक प्रकरण की प्रस्तुती दिनांक से अंतिम सुनवाई दिनांक तक की **केस स्टेटस रिपोर्ट** उक्त वेबसाइट पर किसी भी स्थान से **इन्टरनेट** के द्वारा अथवा **उच्च न्यायालय परिसर में लगे कियोस्क** के जरिए देखी जा सकती है। ऐसी सुविधा से पक्षकार स्वयं ही अपने प्रकरण के बारे में समस्त अद्यतन (updated) जानकारी प्राप्त कर सकता है।

ऑनलाईन डिस्प्ले बोर्ड एंड्राईड एप्लीकेशन, जिसे म.प्र. उच्च न्यायालय की वेबसाइट www.mphc.in से डाउनलोड किया जा सकता है, के द्वारा एंड्राईड मोबाईल पर भी उच्च न्यायालय की विभिन्न पीठों में सुने जा रहे प्रकरणों की वास्तविक समय (Real time) आधारित स्थिति की जानकारी किसी भी स्थान से प्राप्त की जा सकती है।

नये प्रस्तुत प्रकरणों में प्रक्रिया संबंधित त्रुटि (Default) पाये जाने पर अधिवक्ताओं / पक्षकारों को उनके रजिस्टर्ड मोबाइल नम्बर/ई–मेल पर स्वजनित एस.एम.एस./ई–मेल भेजे

जाने की सुविधा दी जा रही है जिससे सुनवाई में अनावश्यक विलम्ब न हो। इसी प्रकार की सुविधाऐं प्रकरणों की लिस्टिंग के सम्बन्ध में भी दी जा रही हैं।

मुकदमों के लिस्टिंग की नवीन प्रणाली सभी पक्षकारों एवं अधिवक्ताओं के लिए एक अत्याधिक उपयोगी एवं पारदर्शी व्यवस्था उपलब्ध कराती है।

म.प्र. उच्च न्यायालय उपलब्ध न्यायाधीशों एवं अन्य सँसाधनों का अधिकतम उपयोग कर पीड़ित पक्षकारों को शीघ्र न्याय प्रदान करने के लिये कृत–संकल्प है, जिसे सभी सम्बन्धित पक्षों के परस्पर समन्वयन, विशेषकर पक्षकारों एवं अधिवक्ताओं की सक्रिय भागीदारी एवं सहयोग से किया जाना है।

यह भी सुनिश्चित है कि भविष्य में अतिरिक्त न्यायाधीशों की उपलब्धता पर खण्डपीठों की सँख्या में वृद्धि होगी जिससे वर्तमान प्रणाली के अंतर्गत और अधिक प्रकरण सुनवाई हेतु अधिसूचित हो सकेंगें।

रजिस्ट्रार जनरल

म.प्र. उच्च न्यायालय, जबलपुर

मुख्य न्यायाधीपति